

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 3/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई, 2017

सा.का.नि.....(अ)- माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, एतद्वारा, सा.का.नि. संख्या 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०. 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

- (i) क्र०. सं०. 10 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 2076 रु० प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रितस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्र०. सं०. 11 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 3668 रु० प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रितस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्र०. सं०. 12 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 2076 रु० प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रितस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्र०. सं०. 13 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 2747 रु० प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रितस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्र०. सं०. 14 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "5% + 3668 रु० प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रितस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्र०. सं०. 15 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि हेतु, "36% + 4170 रु० प्रति हजार" प्रविष्टि को प्रितस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं०.354/221/2016-टीआरयू(पार्ट)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं०. 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि.संख्या 720(अ) के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था ।